सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः— 07 / प्रा0पत्र / 2025 दायरा दिनांक :— 09.01.2025

1. मनोज कुमार आ0 पांचूराम जाति भील निवासी बाजटा तहसील सांवर जिला अजमेर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के तहत
वकील प्रार्थीगण :— श्री चन्द्रप्रकाश जैन
वकील अप्रार्थी :— एकतरफा

दिनांक :— 07 / 03 / 2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के खाते की भूमि खाता संख्या 969 खसरा संख्या 3204 रकबा 0.728 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3214 रकबा 0.2266 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.2994 हैक्टेयर वाके ग्राम बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में विस्थित है। प्रार्थी की खाते की भूमि खसरा संख्या 3204 में आने जाने हेतु कए रास्ता बडानयागांव की मेन सडक से सिवायचक भूमि खसरा संख्या 4433 / 3215 में होकर प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 3204 में आता जाता है, जिसकी चोडाई 30 फिट है, उक्त रास्ते का प्रार्थी सदियों से आता जाता आ रहा है एवं अपने ट्रेक्टर, ट्रॉली व कृषि उपकरण आदि उक्त रास्ते से ले जाता आ रहा है, परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ रही है। सिवायचक भूमि पर भविष्य में अतिक्रमण होने की संभावना है, इसलिए अतिक्रमण की सम्भावना को देखते हुए प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 3204 तक आने जाने वाले 30 फिट चोडे रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। प्रार्थी को अपने खेतों तक आने जाने हेंतु 251 ए आर0टी0एक्ट के तहत रास्ता घोषित करवाने का अधिकार है। इस हेतु प्रार्थी नियमानुसार रास्ते हेतु उपयोग होने वाली भूमि की कीमत जमा करवाने हेतु तैयार है। उक्त मौजूदा रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने हेतु पूर्व में तहसीलदार साहब से निवेदन किया था परन्तु उनके द्वारा उपखण्ड न्यायालय में कार्यवाही किये जाने की कहने पर प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। प्रार्थी के खाते की भूमि ग्राम बडानयागांव तहसील

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

हिण्डोली में विस्थित होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र की श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी के खाते की भूमि खसरा संख्या 3204 वाके ग्राम बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में आने जाने हेतु सिवायचक भूमि खसरा संख्या 4433/3215 में से 30 फिट चोडा रास्ता घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड बडानयागांव में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार हिण्डोली की ओर से पत्रांक :–राजस्व/25/513 दिनांक :–04.03.2025 से प्रस्तावित रास्ते के बाबत जॉच रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी जाकर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कहा कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3204, 3214 कुल किता 02 कुल रकबा 0.2994 हैक्टेयर वाके ग्राम बडानयागांव पटवार मण्डल बडानयागांव पर आने जाने हेतु ग्राम बडानयागांव की मुख्य सडक से सिवायचक भूमि खसरा संख्या 4433/3215 में से 30 फुट चौडा रास्ता प्रार्थी भूमि खसरा संख्या 3204 तक राजस्व रिकॉर्ड में घोषित किया जावे। इस बाबत तहसीलदार हिण्डोली द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है उसकी घोषणा की जावे। प्रार्थी इस बाबत राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण मे तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु सिवायचक खसरा संख्या 4433/3215 वाके ग्राम बडानयागांव में से 30 फीट चौडा रास्ता प्रस्तावित किया गया है उक्त रास्ता मौके पर बना हुआ है वर्तमान में रास्ता चालू है उक्त खसरा संख्या राजकीय सिवायचक भूमि में दर्ज है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खाता संख्या 969 के खसरा संख्या 3204, 3214 कुल किता 02 कुल रकबा 0.2994 हैक्टेयर वाके ग्राम बडानयागांव पटवार मण्डल बडानयागांव में आने–जाने हेतु तहसीलदार हिण्डोली से प्राप्त प्रस्तावित रास्ते की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडानयागांव के खसरा नम्बर 4433/3215 जो कि राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज है जिसमें से 80 फीट लम्बा व 30 फीट चौडे रास्ते में कुल (0.0223 हैक्टेयर) भूमि काम में आवेगी। प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली की मुताबिक गणना टी0आर0ए0 के डीएलसी राशि 1750000/रू– प्रति हैक्टेयर है जिसमें से प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि खसरा संख्या 4433/3215 में से रकबा 0.0223 हैक्टेयर भूमि की डी0एल0सी0 राशि 39025/रू– जिसकी

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

दुगनी प्रतिकर राशि 78050/रू– का भुगतान सम्बन्धित सम्बन्धित राजकीय मद में जमा करवाने उपरान्त निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्र हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक :– 07.03.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

07/03/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446